

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर फूलियाकलां जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी— श्री भंवरलाल कांसोटिया, आर.ए.एस.

प्रकरण सं० —

तारीख दायर

तारीख फैसला

13/2018/प्रार्थना पत्र

12.01.2018

25.01.2018

उनवान

- 1- मु० सजनी पत्नि लादूलाल कुमावत निवासी पनोतिया तह० फूलियाकलां
- 2- मु० कन्या पत्नि नन्दा कुमावत निवासी पनोतिया तह० फूलियाकलां

— प्रार्थीगण

बनाम

सांवरलाल पिता प्रहलाद कुमावत निवासी राज्यास तह० फूलियाकलां

— विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा— 128 एल०आर०एक्ट

उपस्थित :- श्री राजेश वर्मा : अधिवक्ता प्रार्थीगण
निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा — 128 एल०आर०एक्ट विरुद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है, ग्राम कनेछनखुर्द पटवार हल्का कनेछनखुर्द तहसील फूलियाकलां मे प्रार्थीगण की खातेदारी अधिकार की खाता संख्या 347 आ०न० 1 रकबा 0.42 है०, आ०न० 7 रकबा 0.33 है०, कुल किता 02 रकबा 0.75 है० स्थित है। पैरा नं० 1 मे वर्णित आराजीयात की सीमाओं के विपक्षी पड़ोसी होने से आये दिन फसल काश्त करते समय व फसल काटते समय मौके पर विवाद करता है। अतः निवेदन है कि पैरा नं० 1 मे वर्णित आराजी की मुस्तकिल निशान से पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश बक्षाते हुए प्रार्थीगण की भूमि की चारों सीमाओं पर मुस्तकिल निशान लगाये जाने का आदेश बक्षावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 25.01.2018 को अप्रार्थी का सम्मन बाद तामील प्राप्त हो जाने पर भी उपस्थित नहीं हुआ। अतः विपक्षी के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रार्थीगण के अभिभाषक ने बहस करनी चाही जिससे उनकी एक तरफा बहस सुनी गई। बहस मे अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों एवं दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया। बहस पर मनन एवं दस्तावेज का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी ग्राम कनेछन खुर्द पटवार मण्डल कनेछन खुर्द संवत 2072 से 75 खाता

संख्या 347 आ0न0 1 रकबा 0.42 है0, आ0न0 7 रकबा 0.33 है0, कुल किता 02 रकबा 0.75 है0 के प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार दर्ज रेकार्ड है अतः उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी के आदेश दिया जाना उचित समझता हूँ :-

आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट विरुद्ध विपक्षीगण के स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम कनेछन खुर्द पटवार हल्का कनेछन खुर्द तहसील फूलियाकलां मे प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार की खाता खाता संख्या 347 आ0न0 1 रकबा 0.42 है0, आ0न0 7 रकबा 0.33 है0, कुल किता 02 रकबा 0.75 है0 की प्रार्थीगण के खातेदारी की पत्थरगढ़ी अन्य किसी न्यायालय मे प्रकरण जैरकार होकर स्थगन आदेश आदि न हो तो पक्षकारान की मौजूदगी मे ऑफ सीजन मे पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार फूलियाकलां को 300/- (अक्षरे तीन सौ रूपये मात्र) की कमीशन राशि पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीशन राशि मौके पर प्रार्थीगण से प्राप्त करे। निर्णय प्रति पालनार्थ तहसीलदार फूलियाकलां को भेजी जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 25.01.2018 को विवृत न्यायालय मे सुनाया गया।

(भंवरलाल कांसोटिया)

आर0ए0एस0

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)

फूलिया कलां, जिला-भीलवाडा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार, फूलियाकलां पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी मे नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं

सहायक कलेक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)

उपखण्ड अधिकारी एवं

सहायक कलेक्टर

फूलिया कलां, जिला-भीलवाडा